"ग्रामीण सेवा शिवर–2025"

FORM III
फर्द अहकाम
(नियम – 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमकाथाना

तहसीलदार, पाटन बनाम गै.मु.रास्ता (बल्लुपुरा)
(मुख्य आबादी से श्मशान भूमि तक)

किस्म मुकदमा :– गै0मु0 रास्ता धारा 131 व 132 **मु0नं0** 630 **सन्** 2025 **जीसीएमएस नं.** 2025/1236

	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
9-2025	पत्रावली तहसीलदार, पाटन के पत्रांक भू.अ./2025/59 दिनांक 08.07.2025 द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 में गैर मुमकिन रास्ता प्रस्ताव प्राप्त होने पर पेशी हुयी। पत्रावली को दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार पाटन ने बताया कि उक्त प्रस्तावित रास्ता मौके पर चालू है, परन्तु राजस्व रिकार्ड में अंकन नही है। तहसीलदार, पाटन को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। राजस्व (ग्रुप–6) विभाग, राजस्थान जयपुर के परिपत्र क्रमांक प. 3 (2) राज–6/2003/ पार्ट/जयपुर दिनांक 10.8.2016 की पालना में तहसीलदार, पाटन द्वारा आवागमन हेतु सार्वजनिक उपयोग में आ रहे रास्तों का राजस्व अभिलेख में अंकन करने बाबत राजस्व ग्राम **बल्लुपुरा** पटवार मण्डल **बल्लुपुरा** तहसील पाटन स्थित **भूमि खसरा नम्बर 477 रकबा 0.55 हैक्ट. किस्म चाही–3 मे से 0.0298 हैक्ट., खसरा नम्बर 478 रकबा 0.34 हैक्ट. किस्म चाही–3 मे से 0.0148 हैक्ट., खसरा नम्बर 476 रकबा 0.15 हैक्ट. किस्म चाही–1 मे से 0.0072 हैक्ट., खसरा नम्बर 473 रकबा 0.38 हैक्ट. किस्म चाही–1 मे से 0.0136 हैक्ट., खसरा नम्बर 455 रकबा 0.46 हैक्ट. किस्म चाही–3 मे से 0.0144 हैक्ट., खसरा नम्बर 472 रकबा 0.24 हैक्ट. किस्म चाही–1 मे से 0.0072 हैक्ट., खसरा नम्बर 457 रकबा 0.34 हैक्ट. किस्म चाही–1 मे से 0.0144 हैक्ट., खसरा नम्बर 470 रकबा 0.53 हैक्ट. किस्म चाही–1 मे से 0.0084 हैक्ट., खसरा नम्बर 458 रकबा 0.51 हैक्ट. किस्म चाही–1 मे से 0.0112 हैक्ट., खसरा नम्बर 469 रकबा 0.57 हैक्ट. किस्म चाही–1 मे से 0.0088 हैक्ट., खसरा नम्बर 459 रकबा 0.39 हैक्ट. किस्म चाही–1 मे से 0.0096 हैक्ट., खसरा नम्बर 467 रकबा 0.22 हैक्ट. किस्म चाही–1 मे से 0.0048 हैक्ट., खसरा नम्बर 464 रकबा 0.70 हैक्ट. किस्म चाही–1 मे से 0.0216 हैक्ट., खसरा नम्बर 746 रकबा 0.65 हैक्ट. किस्म बारानी–1 मे से 0.0168 हैक्ट., खसरा नम्बर 741 रकबा 0.21 हैक्ट. किस्म बारानी–1 मे से 0.0168 हैक्ट., खसरा नम्बर 738 रकबा 0.20 हैक्ट. किस्म बारानी–1 मे से 0.0084 हैक्ट., खसरा नम्बर 737 रकबा 0.47 हैक्ट. किस्म बारानी–1 मे से 0.0124 हैक्ट., खसरा नम्बर 736 रकबा 0.34 हैक्ट. किस्म बारानी–1 मे से 0.0084 हैक्ट., खसरा नम्बर 749 रकबा 0.49 हैक्ट. किस्म बारानी–1 मे से 0.0084 हैक्ट., खसरा नम्बर 750 रकबा 0.29 हैक्ट. किस्म बारानी–1 मे से 0.0080 हैक्ट., खसरा नम्बर 735 रकबा 0.32 हैक्ट. किस्म बारानी–1 मे से 0.0084 हैक्ट., खसरा नम्बर 751 रकबा 0.56 हैक्ट. किस्म बारानी–1 मे से 0.0208 हैक्ट., खसरा नम्बर 752 रकबा 0.56 हैक्ट. किस्म बारानी–1 मे से 0.0208 हैक्ट., खसरा नम्बर 463 रकबा 0.04 हैक्ट. किस्म चाही–1 मे से 0.0008 हैक्ट. का कुल 04 मीटर चौडा तथा 696 मीटर लम्बाई का गै.मु.रास्ता मुख्य आबादी से**	

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.10.06 15:56:23 IST
Reason: SelfAttested

श्मशान तक का प्रस्ताव तहसीलदार पाटन से मय राजस्व रिकार्ड एवं नक्शा ट्रैस प्राप्त हुआ है। रास्ता मौके पर चालू है एवं बारहमासी चलना बताया गया है। ग्राम पंचायत बल्लुपुरा का मांग पत्र, प्रस्ताव, अनापत्ति प्रमाण–पत्र संलग्न है। प्रस्ताव के साथ जमाबन्दी, ट्रेस नक्शा, फोटोग्राफ व खातेदारान का सहमती शपथ पत्र संलग्न है। प्रस्तावित प्रचलित रास्ता को बारहमासी व सार्वजनिक प्रयोजनार्थ रास्ता मानते हुए उक्त रास्ते को गै0मु0रास्ता दर्ज करवाने हेतु प्रस्तावित किया है। पत्रावली का अवलोकन व मौका निरीक्षण करने पर प्रस्तावित प्रचलित रास्ता मौके पर आवागमन हेतु चालू पाया गया। अतः जनहीत के आवागमन हेतु मौके पर चालू प्रचलित रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 तथा राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, व 86 के प्रावधानों के अनुसार तहसीलदार, पाटन के द्वारा प्रस्तावित संलग्न प्रस्ताव अनुसार राजस्व अभिलेख व नक्शा ट्रैस में दर्ज भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। संलग्न प्रस्ताव व नक्शा ट्रैस के अनुसार राजस्व अभिलेख मे जरिए नामान्तकरण रास्ता पृथक खसरा नम्बर अंकित करते हुये रास्ते के रकबा की किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावें एंव नक्शें में तरमीम की जावें। उक्त गै.मु. रास्ते का रकबा संबंधित खातेदारों की खातेदारी में ही रहेगा। **तहसीलदार, पाटन द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस आदेश का अभिन्न भाग रहेगा।** तदानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु तहसीलदार, पाटन को तहरीर जारी की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
नीमकाथाना

राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.10.06 15:56:23 IST
Reason: SelfAttested